

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कम्स/अधी.अभि.(आर.ई.)/एफ.

प्रे. 428 दिनांक: 25.12.2021

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में आंशिक संशोधन बाबत।

1. कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 11.2 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाता है।
11.2 (अ) आवेदक द्वारा अपने बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना के विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का कार्य स्वयं के स्तर पर निगम द्वारा अनुमोदित/विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाईसेन्सधारी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। लाईन के सामान एवं ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था आवेदक द्वारा अपने स्तर पर करने पर इस आशय का विकल्प (50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर सत्यापित कर) आवेदन करते समय ही देना होगा। आवेदक को तकमीना अनुसार 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि का मांग पत्र जारी किया जायेगा। उपरोक्त आवेदनकर्ताओं की वरियता मांग पत्र जमा दिनांक से अलग से संधारित की जावेगी। आवेदक द्वारा आवश्यक सामग्री स्वयं के स्तर पर निगम के मापदण्डों के अनुरूप उपलब्ध एवं स्थापित करवाई जावेगी। परन्तु वितरण ट्रांसफॉर्मर को ही निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच कराना अनिवार्य होगा। आवेदक के कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री की वास्तविक खपत के आकलन (MAS A/C) के अनुरूप सुपरविजन राशि का आकलन किया जाकर आवेदक से वसूली योग्य अथवा देय राशि को उसे जारी किये जाने वाले आगामी विद्युत बिलों के माध्यम से समायोजन किया जा सकेगा।
2. कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 18.2.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
फ्लैट रेट उपभोक्ता का उसी कुर्रें/बोरिंग पर विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाया जाने पर।
3. कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 18.3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
अनुच्छेद 18.2.2 के मीटर प्रणाली के उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
बढ़ा हुआ भार x 2 x स्थाई प्रभार (अनुदान रहित-विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

4. कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 19.2, परिभाषा D को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

D = उक्त अवधि में प्रचलित विद्युत दर प्रति यूनिट (उपभोक्ता के मामले में-उपभोक्ता द्वारा वहन राशि जिसमें अनुदान राशि शामिल नहीं है एवं गैर उपभोक्ता के मामले में विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर)।

उपरोक्त प्रावधान लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदन एवं नये तैयार किये जाने वाले सतर्कता जांच प्रतिवेदन पर लागू होंगे।


(भास्कर) ए. सावंत
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।


अध्यक्ष डिस्कॉम्स